

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम-2020 की धारा(30) के अंतर्गत अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को संबद्धता प्रदान करने के नियम

प्रासंगिकता: ये नियम विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम-2020 की धारा(30) के अंतर्गत अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने से सम्बन्धित गतिविधियों पर लागू होंगे।

- परिभाषा:**
- (i) “अधिनियम” का अर्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम-2020 है।
 - (ii) “सम्बद्धता” का अर्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करना है।
 - (iii) “विश्वविद्यालय” का अर्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली है।
 - (iv) “पाठ्यक्रम” का अर्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों से है।
 - (v) “विद्यापरिषद” का अर्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की विद्यापरिषद है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में शास्त्री/स्नातक स्तर से विद्यावारिधि/पी.एच.डी. स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन कर छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करता है। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम-2020 (2020 का 5) की धारा(30) के अंतर्गत अन्य शैक्षणिक संस्थाएँ जैसे- संस्कृत महाविद्यालय/ शास्त्र शोध संस्थान/ गुरुकुल/ आश्रम/अन्य संस्थानों को संस्कृत से सम्बन्धित एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रारम्भ में अस्थायी/स्थायी आधार पर सम्बद्धता प्रदान करने हेतु नियम निम्न प्रकार होंगे। एतदर्थ उपर्युक्त संस्थाएं संबद्धता हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकती हैं ।

इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थाएं निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं-

- (i) प्राक् शास्त्री/(पूर्व-मध्यमा/उत्तर-मध्यमा)
- (ii) शास्त्री/स्नातक
- (iii) आचार्य/स्नातकोत्तर
- (iv) प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम/पी.जी.डिप्लोमा (षण्मासिक/एकवर्षीय/द्विवर्षीय)

संबद्धता प्राप्त करने के इच्छुक या अध्ययन के अन्य पाठ्यक्रम / अन्य विषयों का संचालन करने वाले संस्थानों को परिशिष्ट-I में दिए गए निर्धारित प्रारूप में पूर्ण सूचना सहित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आवेदन करना होगा । इच्छुक संस्थान के पास शिक्षण-कक्षों के अतिरिक्त एक

भवन, आवश्यक उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संगणक प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, छात्राओं के लिए सामूहिक कक्ष, योग्य शिक्षक और अन्य कर्मचारी होने चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन हेतु पाठ्यक्रमों को सम्बद्ध संस्था द्वारा सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। परिशिष्ट-II के अनुसार सभी आवश्यक उपकरणों और कर्मचारियों का विवरण देना अनिवार्य होगा। अध्ययन के उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में से किसी एक या अधिक की संबद्धता हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवश्यक दिशानिर्देश:

- 1) प्राक्-शास्त्री/(पूर्व-मध्यमा/उत्तर-मध्यमा) और शास्त्री/स्नातक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने हेतु एवं संबद्धता प्राप्त करने के लिए, संस्थान द्वारा आधुनिक विषयों के शिक्षकों के साथ-साथ पारम्परिक विषयों के योग्य शिक्षकों का होना अनिवार्य है। संबद्धता के लिए आवेदन करते समय उन सभी आधुनिक विषयों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिनके लिए संबद्धता अपेक्षित है।
- 2) संबद्धता प्राप्त करने के लिए संस्थान में कम से कम २५ छात्र प्राक्-शास्त्री/ (पूर्व-मध्यमा/उत्तर-मध्यमा) में, १५ छात्र शास्त्री/स्नातक में, तथा आचार्य/स्नातकोत्तर में १० छात्र होने चाहिए। (पाठ्यक्रमों का पहला सेमेस्टर)
- 3) संबद्धता के लिए आवेदनपत्र सभी आवश्यक तथ्यों और विवरणों के साथ, कुलसचिव, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को रुपये के प्रसंस्करण शुल्क ५०००/- (पांच हजार मात्र) (अप्रतिदेय) के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 4) आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर, कुलपति, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा गठित एक निरीक्षण समिति द्वारा आवेदक संस्था का निरोक्षण किया जायेगा।
- 5) कुलपति निरीक्षण की तिथि एवं निरोक्षण समिति का निर्धारण करेंगे। सम्बद्धता से सम्बन्धित गठित समितियों के लिए नामित सदस्यों के लिए यात्राभत्ता एवं ठहरने की व्यवस्था सम्बन्धित संस्था द्वारा की जायेगी। विशेष परिस्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
- 6) कुलपति की अनुशंसा के साथ निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। विद्या-परिषद की बैठक आयोजित करने के क्रम में, कुलपति संस्था को अस्थायी रूप से संबद्ध कर सकते हैं। इस तरह की संबद्धता एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो विद्या-परिषद की सहमति के अधीन होगी। तीन वर्ष की अवधि के उपरांत निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर स्थायी मान्यता दी जा सकेगी।
- 7) विद्या-परिषद के निदेशानुसार संबद्धता प्रदान करते समय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली किसी भी प्रकार की शर्तें निर्धारित कर सकता है। लेकिन सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा:-
 - (i) संस्था की प्रबंध समिति में संबद्धता प्रदान करने के पश्चात् श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित करना होगा। इसके अतिरिक्त गुरुकुल/ आश्रम/संस्थान/ कॉलेज को अपने स्तर पर एक गुरुकुल/

आश्रम/संस्थान/ कॉलेज काउंसिल का गठन करना अनिवार्य होगा, जिसमें विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित करना होगा।

- (ii) निजी तौर पर प्रबंधित संस्थान को अनिवार्य रूप से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना, संबद्ध संस्था द्वारा विश्वविद्यालय या किसी अन्य संगठन के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किए जाएंगे।
- (iii) किसी भी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का अध्यापन न तो प्रारंभ किया जा सकता है और न ही रोका जा सकता है।
- (iv) संस्था के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक वर्ग की योग्यता और अनुभव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही होना चाहिए।
- (v) नए शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी, जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि की भागीदारी अनिवार्य होगी।
- (vi) संबद्ध संस्थानों के पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निर्धारित केंद्रों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
- (vii) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नियमों का पालन नहीं करने पर मान्यता निरस्त कर दी जाएगी।
- (viii) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय संबद्ध संस्थानों का निरीक्षण किया जा सकेगा। अनियमितता पाये जाने पर संबद्धता / मान्यता को पुनर्विचार के लिए विद्या-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ix) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किसी भी संस्थान की संबद्धता किसी भी समय निरस्त की जा सकती है, यदि वह यह सुनिश्चित करता है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस तरह के रद्दीकरण को विचार के लिए विद्या-परिषद के समक्ष रखा जाएगा।
- (x) किसी भी संदेह/विवाद की स्थिति में, कुलपति, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, जो विद्या-परिषद की सहमति के अनुसार होगा। यदि, भविष्य में भारत सरकार/ राज्य सरकार/ वि. अ. आ की स्वीकृति एवं श्री.ला.बा. श. रा. सं.वि को विद्या-परिषद् गुरुकुल/ आश्रम/संस्थान/ कॉलेज को अनुदान देने के प्रस्ताव को पारित करते हैं, तो अनुदान दिया जा सकता है।
- (xi) किसी संस्था को संबद्धता प्रदान करने का अर्थ यह नहीं है कि उक्त संस्था को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।

- 8) सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों द्वारा व्यावसायिक एवं अन्य पाठ्यक्रमों (आपसी सहमति के आधार पर) में पंजीकृत छात्रों से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क का 70 प्रतिशत भाग स्वयं रखना होगा तथा 30 प्रतिशत भाग विश्वविद्यालय को प्रदान करना होगा।
- 9) सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों की सत्रीय परीक्षाएं एवं अन्य गतिविधियों को आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा।
- 10) प्रत्येक सम्बद्धता प्राप्त संस्थान के शैक्षणिक कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी, तथा समिति की अनुसंशा के आधार पर सम्बन्धित संस्था को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
- 11) प्रत्येक सम्बद्धता प्राप्त संस्थान द्वारा परिशिष्ट-III पर दिये गये बंधपत्र को पूर्णरूप से भर कर नान-जूडिशियल रू. 100/- के स्टॉप पेपर पर विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा।
- 12) समस्त वाद-विवाद, दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे ।